## इकतारा बोले

डॉ टी महादेव राव
विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)
9394290204

# औलाद छोड़ गए

'मुझे लगता है कि अच्छाई और ईमानदारी का पुनर्जन्म हो या न हो लेकिन बुराई, धोखाधड़ी और चापलूसी बार बार जन्म लेते हैं। तर्क सीधा है कि अच्छी बातें मोक्ष और स्वर्ग को पाती हैं, जबकि बुराइयाँ अपने कर्म को भोगने पुनः जन्म लेती हैं और बस यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ' 'भैया! आज अचानक पुनर्जन्म, पाप, मोक्ष कैसे? क्या सुबह सुबह किसी संत बाबा का प्रवचन सुनके आ रहे हैं या व्हाट्सअप पर ज्ञानी योगियों ने ऐसी कोई पोस्ट डाली है, गुड मॉर्निंग के बाद? ' 'न छोटू! न। चार पाँच दिनों से टीवी पर समाचार और उनके थंबनेल यानी की स्लाइडस देख देख कर मुझे विशेष मीडिया के करतूतों की वजह से ऐसा सोचना पड़ रहा है। बात को बतंगड़ से आगे बहुत आगे ले जाया जा रहा है। मतलब चीजों को दूरबीन से देखना, राई का पहाड़ बनाना, जोड़ना कहीं की ईंट और कहीं के रोड़े को और पंचमेल खिचड़ी बनाकर लोगों को परोसना जिससे लोग कुछ समझे बिना अपने दिमाग को चकरघिन्नी सा घूमते देखना...। बस यही चल रहा है। पहले चापलूसी तीस से चालीस प्रतिशत होती थी जो अब बढ़कर सत्तर अस्सी प्रतिशत हो रही है। ' 'मतलब काम की बातें कम और मस्का मारी और चापलूसी अधिक हो रही है। भैया! यह तो पहले से ही जारी है। नया तो यह है कि बटरिंग यानी मस्के का प्रतिशत बढ़ गया है। ' 'कुछ लोगों की सोच कुंद हो गई है। अंध भक्ति में ऐसे लिपटे हैं जैसे इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, भले ही समाज जाये कहीं भी। इस बीच तथाकथित अनपढ़ संत, महात्मा, बाबाओं की तो जैसे बाढ़ आ गई है। ऐसे लगता है किसी ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा है और मधुमक्खियों की तरह इन प्रवचनकर्ताओं की भीड़ आन पड़ी है। सब अपने आपको महान विद्वान कहते हैं और किसी एक प्रश्न से बिदक जाते हैं। ' 'लोगों में यह गलतफहमी पूरी तरह घर कर गई है की इन्हीं के शरण में उन्हें मुक्ति मिलेगी, समस्याओं से लडने की शक्ति मिलेगी। इससे उनका धंधा पानी जोरों से चल निकला है। परिणाम यह की हर गली मोहल्लों में रोज एक नए संत का उद्भव हो रहा है। ' 'हम जिस वैज्ञानिक सोच और दृष्टिकोण की बात संविधान में पाते हैं, उसका तो सत्यानाश हो रहा है। ' 'आप भी कहाँ हो? यहाँ, इतिहास, भूगोल को जब समाधिस्थ कर नए इतिहास का सृजन कर रहे हैं ऐसे में आपको संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पड़ी है। '

# दूषित पानी के कारण मौतें, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी

## ऐसा ना हो कि बड़े अफसर सिर्फ सम्मान लेने के लिए रह जाए

**इंदौर। (राजेन्द्र के. गुप्ता/सात्विक गुप्ता )।** भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण हुई जनता की मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही की जांच के लिए 04 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, कमेटी बनाने का आदेश सामान्य प्रशासन मंत्रालय के अवर सचिव सुभाष कुमार द्विवेदी ने दिनांक 19/01/2026 को जारी किया है।

**याचिकाकर्ता ने ली आपत्ति** — मुख्य याचिकाकर्ता रितेश ईनाणी ने कमेटी में लिए गए अफसरों के नाम पर मौखिक आपत्ति ली है। इंटरविन याचिकाकर्ता मोहित भदकारे की तरफ से एडवोकेट नीरज सोनी, अरुण मिश्रा और अन्य

इंटरविनर की तरफ से अजय बागड़िया पैरवी कर रहे है।

**जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेगी कमेटी :** मंत्रालय द्वारा बनाई चार सदस्यों की कमेटी वास्तविक कारणों, आवश्यक तथ्यों का परीक्षण करने के साथ घटना के संबंध में प्रशासनिक, तकनीकी और प्रबंधनगत खामियों का विश्लेषण करेगी। साथ ही घटना की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए सुझाव देगी। अन्य विभागों से दस्तावेज भी एकत्रित करेगी। कमेटी को यथाशीघ्र और अधिकतम 01 महीने में अपना प्रतिवेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत करना है।

**इन अफसरों को लिया है कमेटी में :** संजय कुमार शुक्ल अपर मुख्य सचिव जीएडी, पी. नरहरी पीएस लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी, संकेत भोडवे आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, सुदाम खाड़े संभागायुक्त इंदौर । शुक्ल को कमेटी का अध्यक्ष और खाडे को सदस्य सचिव बाकी दोनों अधिकारी कमेटी के सदस्य बनाए गए है। बड़े अफसरों की जिम्मेदारी सामने आएगी या सिर्फ सम्मान लेने जाने के लिए रखे है ? – अब देखना ये होगा कि कमेटी कितने स्पष्ट रूप से किन अधिकारियों, कर्मचारियों को जिम्मेदार बताते हुए जवाबदेही तय करती है ऐसा ना हो कि छोटे कर्मचारियों तक सीमित रह जाए, बड़े सिर्फ सम्मान लेने के लिए रखे होना रह जाए ? जबकि विभाग प्रमुख, स्थानीय प्रमुख और शाखा प्रमुख की निगरानी आवश्यक होती है और रिपोर्टिंग पर ही निर्णय लिए जाते है, भुगतान होते है । हमने भी सुझाव दिए है देखते है कितने अमल में लाए जाते है। सीवरेज प्रोजेक्ट की भी जांच, ऑडिट होना चाहिए ।

## सुप्रीम कोर्ट का आदेश विनियमित कर्मचारियों को दो समान वेतन

**इंदौर। (राजेन्द्र के गुप्ता/सात्विक गुप्ता)।** नगर पालिका निगम के 1391 विनियमित कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से समान काम पर समान वेतन पाने का अधिकार मिला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वाराआदेश जारी करने पर निगम के विनियमित कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त करते हुए निगम परिसर में जश्न मनाया ।


**संस्कृत सेवाभना**

मेरे सुपुत्र, स्व. श्री रामनारायणजी, सोहोन कुमारजी के भतीजे, राजेश, जीवन, सुनील, अनिल, निलेश के भाई, अंकुल, अंकित, आरव, कार्तिक, मेहुल, अनुभव के कराका पार्थ के पिताजी, दादाजी, ननिहाल के दादाजी

**श्री अजय कुमारजी कापड़िया** का स्वर्गवास 19/01/2026, को हो गया है। उठावना, शोक निवारण एवं पगड़ी 21/01/2026, बुधवार को महावीर बाग, एरोड्रम रोड, इन्दौर में प्रातः 10.30 बजे रखा गया है।

सुदरशन पक्ष – स्व. श्री प्रकाश चंद जी अशोक कुमार जी जैन परिवार अलीराजपुर का संयुक्त उठावना रखेगा दिनांक - 22-23 जनवरी को दोपहर 2.00 से 9.00 बजे तक पिता निवास विमलेश्वर अपार्टमेन्ट, शक्तिनगर रतलाम रखा है।

शोकाकुल - **अशोक कुमार छगनलाल जी कापड़िया (राजगढ़ वाला)**

फर्म- राजस्थन इलेक्ट्रिक
शराब – बी सा नगरीय जेल के सामे इंदौर


## निगम मस्टर कर्मी ने प्लाट दिलाने के नाम पर की लाखों की धोखाधड़ी, केस दर्ज

**इन्दौर ।** नगर निगम की योजनाओं के तहत सस्ते में प्लॉट दिलाने का झांसा देकर करीब 31 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने नगरनिगम के मस्टरकर्मी शैलेन्द्र उर्फ चीकू पुत्र प्रदीप दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार प्रदीप रायकवार निवासी पारसी मोहल्ला ने शैलेन्द्र उर्फ चीकू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते बताया कि शैलेन्द्र नगर निगम में मस्टरकर्मी के पद पर कार्यरत है और कॉलोनी में रहने के कारण उसका बचपन का परिचित भी है। गत अगस्त 2023 में प्रदीप ने शैलेन्द्र से परिवार के लिए प्लॉट खरीदने की बात कही थी।

# डायल 112 पुलिस का सराहनीय कार्य, बनी जीवनदायनी मदद

## आधी रात एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म, पुलिस ने टोचन कर पहुंचाया अस्पताल

**पीथमपुर।** डायल 112 इंदौर पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक मरीज की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। घटना 19 जनवरी 2026 की है, जब रात 11 बजकर 58 मिनट पर डायल 112 पर सूचना मिली कि पीथमपुर के सागौर कुटी से एक मरीज को एम्बुलेंस चालक विवेक कुमार निजी अस्पताल में उपचार के लिए इंदौर ला रहा है, लेकिन सुपर कॉरिडोर चौराहे के पास एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और वाहन बीच रास्ते में खड़ा हो गया। सूचना के अनुसार, एम्बुलेंस चालक और परिजनों ने आसपास मदद की कोशिश की, परंतु समय रहते कोई सहायता नहीं मिल सकी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एम्बुलेंस चालक ने डायल 112 पर संपर्क किया। सूचना मिलते ही एफआरवी-2 थाना एरोड्रम में तैनात टीम-आर.3755 मनीष, आर.3508 जोगेंद्र तथा पायलट अरविंद-तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने हालात को समझते हुए बिना देरी किए एम्बुलेंस को टोचन कर नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचाया। ईंधन भरवाने के बाद एम्बुलेंस को तुरंत आगे रवाना किया गया, जिससे मरीज को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सका। पुलिस की इस तत्परता से उपचार में विलंब टल गया। घटना के बाद एम्बुलेंस चालक विवेक कुमार और मरीज के परिजनों ने थाना एरोड्रम इंदौर पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण की खुले दिल से सराहना की और धन्यवाद व्यक्त किया। डायल 112 की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया कि आपात परिस्थितियों में पुलिस की सजगता कैसे जीवनदायनी बन सकती है।


**पिता का नाम सुधार संबंधी जाहिर सूचना**

कार्यालयाधीन को सूचित कराने में आता है कि मेरे पुत्र प्रथम हर्षमें ने दसवा 12वी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली की परीक्षा वर्ष 2025 में उत्तीर्ण की थी जिसका रोल नंबर 19636295 है दर्यापन त्रुटिवश प्रवत महावीरजी में पिताजी का नाम विष्णु हर्षमें दर्ज हो गया है जो कि सत्यत है पिता का सही नाम विक्रम हर्षमें है उपरोक्त त्रुटी अन्यत्रमें में हुई है मतिकार में मेरे पुत्र प्रथ महावीरजी में पिता का सही नाम विक्रम हर्षमें ही माना जावे इस संबंध में कोर्ट किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के भीतर लिखित रूप में सूचित करें। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

**उर्मिला शर्मा पति विक्रम शर्मा**
एलआर-III, 43, श्रीकृष्णा विहार, विजयनगर इंदौर (म.प्र.)



**इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 1 इंदौर**
**जाहिर सूचना**

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 1. श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री लक्ष्मीनारायण साहू, 2. श्री अजय पिता श्री लक्ष्मीनारायण साहू द्वारा झोन क्रं. 1, राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन 10009006612 पता 10 पेनर्जान कॉलोनी इन्दौर पर नामांतरण वारिस नाते चाहा गया है।

इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 21.01.2026 से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 1 राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

**सहायक राजस्व अधिकारी**
**झोन क्र. 1, नगर पालिक निगम, इंदौर**



**इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 1 इंदौर**
**जाहिर सूचना**

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 1. श्री अविनाश पिता श्री राजेन्द्र निगम, 2. श्री हर्ष पिता श्री राकेश निगम आ. क्रं. 724 दिनांक 20/01/2026 द्वारा झोन क्रं. 1, राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन 1000899620 पता म.नं. 85-86 बाणगंगा इन्दौर पर नामांतरण वारिस नाते चाहा गया है।

इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 21.01.2026 से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 1 राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

**सहायक राजस्व अधिकारी**
**झोन क्र. 1, नगर पालिक निगम, इंदौर**



**इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 3 इंदौर**
**जाहिर सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 1. श्रीमती वीणा पति स्व: श्री हेमेन्द्र कर्नावट, 2. श्री सौरभ पिता स्व: श्री हेमेन्द्र कर्नावट, 3. प्रतिक पिता स्व: श्री हेमेन्द्र कर्नावट मो.नं. ..... द्वारा झोन क्रं. 3, के राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन 1000886686 पता 5 नारायण बाग, 103 विक्रम प्लाजा इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।

इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 21.01.2026 से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 3 राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

**सहायक राजस्व अधिकारी**
**झोन क्र. 3, नगर पालिक निगम, इंदौर**
**इन्दौर समाचार**



**सावधान** **सावधान**

**जाहिर सूचना**

**(मकान न. 20, लालाराम नगर, ग्राम पिपल्याहाना तहसील व जिला इन्दौर के संबंध में)**

भूखण्ड क्र. 20 व उस पर निर्मित मकान लालाराम नगर, (ग्राम पिपल्याहाना) तहसील व जिला इन्दौर के मालिक एवं वैधानिक अधिकारी हमारे पक्षकार राजेश सिंह पिता स्व. श्री विनित सिंह स्थाई निवासी 20, लालाराम नगर, सेन्टॉर्मल हॉयर सेकन्ड्री स्कूल के पास, इन्दौर वर्तमान हाल मुकाम-122-ए, संपत हिल्स, बिचौली मर्दाना, इंदौर (म.प्र.) की ओर से प्रदत्त जानकारी एवं निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मकान के संबंध मे (1) अजय कुमारसिंह पिता श्री विनितसिंह एवं (2) श्रीमती एग्नेससिंह पति अजय कुमारसिंह दोनों निवासी 20, लालाराम नगर, सेन्टॉर्मल हॉयर सेकन्ड्री स्कूल के पास, इन्दौर के द्वारा जिस विक्रयपत्र 1-अ/14/52 दिनांक 07.04.2011 व प्रोवेट केस नंबर 7/1987 06.01.1989 के आधार पर अपने आप को सदर संपत्ति का मालिक व आधिपत्यधारी बताते हुए दिनांक विक्रय अनुबंधित, विक्रय अथवा अन्यत्र प्रकार से अंतरण प्रयास किया जा रहा है, उक्त विक्रयपत्र को शून्य घोषित किये जाने व अन्य सहायताएं प्राप्त किये जाने एवं प्रोबेट प्रमाणपत्र को रिवोक करवाये जाने हेतु हमारे पक्षकार की ओर से क्रमशः दी. मु. नं. 9-ए/2013 (राजेश कुमारसिंह विरूद्ध अजय कुमारसिंह व अन्य) व विविध दी. प्र. क्र 316/2023 (राजेश सिंह विरूद्ध अजय सिंह) न्यायालय श्रीमान अट्ठाहव्वे जिला न्यायाधीश महोदय, इंदौर के समक्ष लंबित होकर उक्त दोनो प्रकरणो मे हमारे पक्षकार के द्वारा लिये गये आधारो को देखते हुए दोनो प्रकरणो मे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना को महसूस करने के कारण उपरोक्त (1) अजय कुमारसिंह पिता श्री विनितसिंह एवं (2) श्रीमती एग्नेससिंह पति अजय कुमारसिंह के द्वारा स्वत्व के विवाद व प्रोबेट प्रमाणपत्र के विवाद को छुपाते हुए प्रकरणो के लंबित रहने के तथ्य को छुपाते हुए अधिकारविहीन, अवैध व अनुचित तरीके से उक्त भवन को विक्रय/अंतरण/अन्यथा अंतरण संव्यवहार किये जाने का अवैधानिक प्रयास किया जा रहा है। इस कारण सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित भवन के संबंध मे अजय कुमारसिंह या श्रीमती एग्नेससिंह से किसी प्रकार का कोई संव्यवहार न करें, अन्यथा ऐसा संव्यवहार अधिकारविहीन, अवैध व शून्य होकर माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में भी आने वाला कृत्य होगा और ऐसा अवैध संव्यवहार हमारे पक्षकार के हितों के विपरीत कोई बंधनकारी प्रभाव नहीं रखेगा तथा विपरीत परिणामों तथा हमारे पक्षकार के व्ययों के लिए संबंधित पक्षकार, अजय कुमारसिंह एवं श्रीमती एग्नेससिंह के समान जिम्मेदार रहेंगे। यह विदित हो ।

**एस.जे. पोलेकर, एडवोकेट**
**122, मिलिन्दा मॅनर, 2. आर.एन.टी. मार्ग**
**अपॉजिट सेन्ट्रल मॉल, इन्दौर (म.प्र.)**
**फोन: 4004446, 094250-73666, 98270-34446**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का वास्तविक व सही नाम सौम्या बेगड़े (SOUMYA BEGDE ) पिता निलेश बेगड़े है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित है। किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम सोमिया बेगड़े (SOMIYA BEGDE ) पिता निलेश बेगडे दर्ज हो गया है, अतः भविष्य मे मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजो पर उसका सही नाम सौम्या बेगड़े ( SOUMYA BEGDE) पिता निलेश बेगडे लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना पहचाना व सम्बोधित किया जावे ।

**सौम्या बेगड़े ( SOUMYA BEGDE) पिता निलेश बेगडे**
**पता- 14, गाडी अड्डा, हरीजन कॉलोनी इंदौर, (म.प्र.) 452001**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी वास्तविक व सही नाम शाहेना ( SHAHENA ) पिता शेख रफीक ( SHEKH RAFIQUE ) है, जो की मेरे कुछ शासकीय अशासकीय दस्तावेजो पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय अशासकीय दस्तावेजो पर त्रुटीवश मेरा नाम शाहिना बी ( SHAHENA BEE ) पिता रफीक शेख एवं कुछ पर शाहीना ( SHAHINA ) पिता मोहम्मद रफीकें ( MOHAMMED RAFIQUE ) दर्ज हो गया है अतः भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजो पर मेरा एवं मेरे पिता जी का सही नाम शाहेना ( SHAHENA ) पिता शेख रफीक ( SHEKH RAFIQUE ) लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

**शाहेना ( SHAHENA ) पिता शेख रफीक**
**पता- 52, सहयोग नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452002**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम रिंकू ठाकुर ( RINKU THAKUR ) पिता भुवानसिंह था, जो कि मेरे कुछ शासकीय अशासकीय दस्तावेजो पर अंकित है, श्री अजय अलावा से विवाह के उपरान्त मेरा नाम रिंकू अलावा ( RINKU ALAWA ) पति अजय अलावा हो गया है, अतः भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजो पर मेरा परिवर्तित नाम रिंकू अलावा ( RINKU ALAWA ) पति अजय अलावा लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

**रिंकू अलावा ( RINKU ALAWA ) पति अजय अलावा**
**पता-104, गाजीपुरा,पशु चिकित्सालय के पास, खल बुजुर्ग,खलघाट धार, म.प्र. 454552**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी वास्तविक व सही नाम शबनम ( SHABNAM ) पिता शेख रफीक ( SHEKH RAFIQUE ) है, जो की मेरे कुछ शासकीय अशासकीय दस्तावेजो पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय अशासकीय दस्तावेजो पर त्रुटीवश मेरे पिता का नाम शेख मोहम्मद रफीक ( SHEIKH MOHAMMED RAFIQUE ) दर्ज हो गया है अतः भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजो पर मेरा एवं मेरे पिता जी का सही नाम शबनम ( SHABNAM ) पिता शेख रफीक ( SHEKH RAFIQUE ) लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

**शबनम ( SHABNAM ) पिता शेख रफीक**
**पता- 52, सहयोग नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452002**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व मे मेरा नाम सुशीला सोनकर ( SUSHILA SONKAR ) पति जगन्नाथ सोनकर था जो की मेरे आधार कार्ड पर दर्ज है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर रानी सोनकर ( RANI SONKAR ) पति जगन्नाथ सोनकर कर लिया है, जो मेरे वोटर कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजो पर मेरा परिवर्तित नाम रानी सोनकर ( RANI SONKAR ) पति जगन्नाथ सोनकर लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

**रानी सोनकर ( RANI SONKAR ) पति जगन्नाथ सोनकर**
**पता- जगन्नाथ सोनकर 15/3 तिलक नगर इंदौर (म.प्र.) 452018**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्र का वास्तविक व सही नाम तनिष भाडक ( TANISH DHAKAD ) पिता दुर्गालाल धाकड है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित है। किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम विक्रम धाकड (VIKRAM DHAKER ) पिता दुर्गालाल धाकड दर्ज हो गया है, अतः भविष्य मे मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजो पर उसका सही नाम तनिष धाकड ( TANISH DHAKAD ) लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना पहचाना व सम्बोधित किया जावे ।

**तनिष धाकड ( TANISH DHAKAD ) पिता : दुर्गालाल धाकड**
**पता- 268, डी राजनगर इन्दौर, (म.प्र.) 452002**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्र का वास्तविक व सही नाम दक्ष धाकड ( DAKSH DHAKAD ) पिता दुर्गालाल धाकड है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित है । किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम अमित धाकड (AMIT DHAKER ) पिता दुर्गालाल धाकड दर्ज हो गया है, अतः भविष्य मे मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजो पर उसका सही नाम दक्ष धाकड **(DAKSH DHAKAD )** पिता दुर्गालाल धाकड लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना पहचाना व सम्बोधित किया जावे ।

**दक्ष धाकड (DAKSH DHAKAD ) पिता दुर्गालाल धाकड**
**पता- 268, डी राजनगर इन्दौर, (म.प्र.) 452002**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी वास्तविक व सही नाम अफसाना ( AFSANA ) पिता शेख रफीक ( SHEKH RAFIQUE ) है, जो की मेरे कुछ शासकीय अशासकीय दस्तावेजो पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय अशासकीय दस्तावेजो पर त्रुटीवश मेरे पिता का नाम मोहम्मद रफीक ( MOHAMMED RAFIQUE ) दर्ज हो गया है अतः भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजो पर मेरा एवं मेरे पिता जी का सही नाम अफसाना ( AFSANA ) पिता शेख रफीक (SHEKH RAFIQUE ) लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

**अफसाना ( AFSANA ) पिता शेख रफीक**
**52, सहयोग नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452002**



**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारे द्वारा श्री ओमगिरी पिता स्व. श्री नारायणगिरी निवासी- कबिट मोहल्ला, ग्राम तिल्लौर खुर्द, तह. बिचौली हप्सी, जिला इन्दौर, म.प्र. से उनकी स्वामित्व की ग्राम तिल्लौर खुर्द, तह. बिचौली हप्सी, जिला इन्दौर, म.प्र. की सर्वे नं. 258/1 रकबा 1.335 हे. पैकी रकबा 0.109 हे. कृषि भूमियां जो कि क्रेता के पुस्तैनी आधिपत्य की होकर उक्त भूमि के स्वामित्व अधिकार को क्रय करने का अनुबंध कर उन्हे महत्वपर्ण प्रतिफल राशि अदा कर दी है उक्त कृषि भूमियों के विक्रय संव्यवहार के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों के लिखित में आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन से 7 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें, इसके पश्चात् हमारे पक्षकार व्दारा उक्त कृषि भूमि के विक्रय-पत्र का पंजीयण अपने पक्ष में करवा लिया जावेगा एवं कोई भी आपत्ति हमारे पक्षकार पर बंधनकारी नही रहेगी।

इंदौर दिनांक : 21/01/2026

**संतोषसिंह ठाकुर, एड्व्होकेट,**
**कार्या.-एस 112, यसवंत प्लाजा, इन्दौर मोबा. 8964040404**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी वास्तविक व सही नाम शशिकला उपाध्याय ( SHASHIKALA UPADHAYAY ) पति सुरेन्द्र उपाध्याय है, जो की मेरे कुछ शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजो पर दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा अधुरा नाम शशी ( SHASHI ) पति सुरेन्द्र कुमार दर्ज हो गया है अतः भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजो पर मेरा सही नाम शशिकला उपाध्याय ( SHASHIKALA UPADHAYAY ) पति सुरेन्द्र उपाध्याय लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

**शशिकला उपाध्याय ( SHASHIKALA UPADHAYAY ) पति सुरेन्द्र उपाध्याय**
**पता- 490, द्वारकापुरी, 60 फीट रोड इन्दौर (म.प्र.) 452009**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी वास्तविक व सही नाम गुलु - सितलानी ( GULU SITLANI ) पिता भगवानदास सितलानी था, जो की मेरे कुछ शासकीय /अशासकीय दस्तावेजो पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय / अशासकीय दस्तावेजो पर मेरा नाम गुलु बी सितलानी ( GULU B SITLANI ) दर्ज है, किन्तु मैने अपना नाम परिवर्तित कर गुलशन सितलानी ( GULSHAN SITLANI ) पिता भगवानदास सितलानी कर लिया है जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर दर्ज है अतः भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजो पर मेरा परिवर्तित नाम गुलशन सितलानी ( GULSHAN SITLANI ) पिता भगवानदास सितलानी लिखा पढा जावे एव इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

**गुलशन सितलानी ( GULSHAN SITLANI ) पिता भगवानदास सितलानी**
**पता- फ्लेट न. 01, मशहत अपार्टमेंट, 42, श्री नगर एक्सटेंशन इन्दौर (म.प्र.) 452009**



**नाम परिवर्तन की सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी वास्तविक व सही नाम निलेश सिंह ( NILESH SINGH ) पिता रोशन सिंह ( ROSHAN SINGH ) माता रानी ( RANI ) है, जो की मेरे कुछ शासकीय / अशासकीय दस्तावेजो पर दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजो पर पुर्व मे त्रुटिवश मेरा नाम निलेश सिंह बैस( NILESH SINGH BAIS ) पिता रोशन सिंह बैस ( ROSHAN SINGH BAIS )माता रानी सिंह बैस ( RANI SINGH BAIS ) दर्ज हो गया है अतः वर्तमान एवं भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजो पर मेरा सही नाम निलेश सिंह ( NILESH SINGH ) पिता रोशन सिंह ( ROSHAN SINGH ) माता रानी ( RANI ) लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे ।

**निलेश सिंह ( NILESH SINGH ) पिता रोशन सिंह माता- रानी**
**पता- 68, छोटी कुम्हारखाड़ी, इंदौर (म.प्र.) 452015**



**नाम सुधार जाहिर सूचना**

**सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक का पुरा नाम मैं श्रीमती रेवा बाई, पति स्व. श्री रमेश चंद्र साहू, (शपथ-पत्र अनुसार ) म.न. 230 शीतल नगर, नगर वार्ड 12 झोन 4 पर नाम सुधार करने बाबद्**

यह कि संबंधित संपत्ति के संपत्तिकर रिकॉर्ड में लेखन त्रुटि के कारण **'रमेश साहू'** गलत रूप से चढ़ गया है संपत्तिकर अभिलेख में आवेदक का नाम श्रीमती रेवा बाई, पति स्व. श्री रमेश चंद्र साहू, सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

यदि किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के भीतर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज झोन 4 सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नही की जाएगी। इन्दौर, दिनांक 22/12/2025

**सहायक राजस्व अधिकारी**
**झोन क्रं. 04, नगर पालिक निगम इन्दौर (म.प्र.)**



**न्यायालय तहसीलदार तहसील मल्हारगंज इन्दौर**

क्रमांक 2541/रीडर/24 इन्दौर, दिनांक / /2025
प्र.क्र./254/अ-6/2025-26

**:: उद्घोषणा ::**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेद